रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042026-272001
CG-DL-E-23042026-272001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948
No. 281] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2026

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्थान) (संशोधन विनियम, 2026)

(यूआईएन: 2/2026)

फा. सं. 1-1/2021 (सीपीपी-आई/डीयू) — प्रस्तावना:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 के खंडों (f) और (g) तथा धारा 12A की उपधाराओं (2) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** –(1) इन विनियमों का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्थान) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकेगा। (UIN:2/2026) ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 (जिसे आगे मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 1 की उपविनियम (3) में, परंतुक (Proviso) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक (Proviso) अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

परंतु यह भी प्रावधान किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार किसी परोपकारी संगठन द्वारा प्रायोजित तथा सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित समविश्वविद्यालय संस्थान (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी) को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अपने संस्थापन प्रलेख (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) को जारी रखने की अनुमति दे सकती है, बशर्ते कि संस्थान यह प्रदर्शित करे कि वह अपने विधिवत लेखापरीक्षित लेखा-बही के माध्यम से अपनी आय का न्यूनतम पचास प्रतिशत स्वयं अर्जित करने में सक्षम है; अर्थात् संस्थान की कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय, सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों के दोगुने से अधिक हों तथा संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कुछ मानदंडों की पूर्ति भी करे, और यह सभी शर्तें उस अवधि की समाप्ति से पूर्व पूर्ण की जाएं, जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है:

परंतु यह भी प्रावधान किया जाता है कि केंद्रीय सरकार, किसी संवैधानिक प्राधिकरण या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित समविश्वविद्यालय संस्थान (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय संस्थान) को, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, अपने संस्थापन प्रलेख (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) को जारी रखने की अनुमति दे सकती है।

3. मूल विनियम के विनियम 4 में,-

(i) उपविनियम (1) के खंड (b) के उपखंड (i) में, "तीन क्रमिक चक्रों के लिए" शब्दों के स्थान पर "या समतुल्य राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नेक) ग्रेड, तीन चक्रों के लिए, जिसमें नवीनतम चक्र भी सम्मिलित है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) अधिनियम की धारा 2 के खंड (f) के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अथवा किसी विश्वविद्यालय की संघटक इकाई भी समविश्विद्यालय संस्थान (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय संस्थान) बनने या किसी अन्य समविश्वविद्यालय संस्थान (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय संस्थान) के ऑफ-कैम्पस के रूप में बनने के लिए आवेदन कर सकती है, और मौजूदा विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की संघटक इकाई को राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि उन्हें समविश्वविद्यालय संस्थान (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय संस्थान) का दर्जा प्रदान किए जाने या किसी अन्य मौजूदा समविश्वविद्यालय संस्थान (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय संस्थान) के ऑफ-कैम्पस के रूप में पात्र पाया जाता है, तो राज्य सरकार उन्हें अधिसूचना द्वारा निरस्त (डी-नोटिफाई) कर देगी, और संबंधित संस्थान को केवल संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत निरस्तीकरण (डी-नोटिफिकेशन) के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश देने या ऑफ-कैम्पस अथवा नए समविश्वविद्यालय संस्थान (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय संस्थान) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।"

4. मूल विनियम के विनियम 6 की उपविनियम (5) में, "अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी उच्च शिक्षा संस्थान को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समविश्वविद्यालय संस्थान (इंस्टीट्यूशन डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी) घोषित करेगा" शब्दों के स्थान पर "अनुमोदन या तो तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी करेगा अथवा प्रस्ताव को उसके कारण बताते हुए अस्वीकार कर देगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. मूल विनियम के विनियम 23 में,-

(क) शीर्षक 'क. कुलाधिपति' के अंतर्गत,-

1) खंड (1) के परंतुक में, "केंद्र या राज्य सरकार अथवा उसके अभिकरणों, संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "संवैधानिक प्राधिकरण या केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा उसके अभिकरणों, संबंधित संवैधानिक प्राधिकरण या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

2) खंड (3) में,-

(ए) 'सरकार' शब्दों के स्थान पर 'संवैधानिक प्राधिकरण या सरकार' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(बी) 'उपयुक्त सरकार' शब्दों के स्थान पर 'संवैधानिक प्राधिकरण या उपयुक्त सरकार' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) शीर्षक 'ख. कुलपति' के अधीन, खंड (3) में, उपखंड (a) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(क) संवैधानिक प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसके अभिकरणों द्वारा प्रबंधित या नियंत्रित अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसके अभिकरणों से अपनी वार्षिक प्राप्तियों का पचास प्रतिशत या उससे अधिक अनुदान प्राप्त करने वाले समविश्वविद्यालय संस्थान (इंस्टीट्यूशन डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी) में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता तथा उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018, यथा समय-समय पर संशोधित, का अनुसरण करते हुए, खोज-सह-चयन समिति (सर्च-कम-सेलेक्शन कमेटी) का गठन संवैधानिक प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसके अभिकरणों द्वारा किया जाएगा:

बशर्ते कि जहाँ सरकार ने किसी परोपकारी संगठन द्वारा प्रायोजित समविश्वविद्यालय संस्थान (इंस्टीट्यूशन डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी) को उसके विद्यमान संस्थापन प्रलेख (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) को जारी रखने की अनुमति दे दी है, वहाँ कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति नीचे (b) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।"

6. मूल विनियम के विनियम 24 में, शीर्षक 'ख. शुल्क संरचना' के अधीन, खंड (2) में, "'राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. विनियम 32 की उपविनियम (3) में, खंडों (d) से (n) तक को क्रमशः उपविनियमों (4) से (14) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

प्रो. मनिष आर. जोशी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./55/2026-27]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, 21st April, 2026

University Grants Commission [Institutions Deemed to be Universities] Amendment Regulations, 2026 (UIN:2/2026)

F. No. 1-1/2021(CPP-I/DU) .—PREAMBLE:.

In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of section 26 and sub-sections (2) and (4) of section 12A of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following amendments in the University Grants Commission (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, namely: -

1. **Short title and commencement -** (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Institutions Deemed to be Universities) Amendment Regulations, 2026 (UIN:2/2026).

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the University Grants Commission (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 1, in sub-regulation 3, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-–

"Provided further that the Central Government may permit an institution deemed to be University sponsored by a philanthropic organisation and substantially funded by Government to continue with its existing Memorandum of Association for such period of time as may be specified by the Central Government subject to the criteria that the institute shall demonstrate, through its duly audited books of accounts that it is able to generate a minimum of fifty per cent. of its revenue on their own, that is, total receipts as well as total expenses of the institute is more than twice the government grants given to them and fulfilment of certain other criteria laid down by the respective Government and this shall be achieved on or before the end of the period for which the permission is given:

Provided also that the Central Government may permit an institution deemed to be University sponsored by a constitutional authority or Central Government or State Government to continue with its existing Memorandum of Association for such period of time as may be specified by the Central Government.".

3. In regulation 4 of the principal regulations,-–

(i) in sub-regulation (1), in clause (b), in sub-clause (i), for the words "for three consecutive cycles", the words "or equivalent National Assessment and Accreditation Council grade, for three cycles, including the latest cycle" shall be substituted;

(ii) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) Universities established under clause (f) of section 2 of the Act or a constituent unit of a University may also apply to become an institution deemed to be University or an off-campus of another institution deemed to be University and the existing University or constituent unit of a University shall submit a no objection certificate from appropriate authority in the State Government, that the State Government shall de-notify them if they are found eligible to be granted the status of institution deemed to be University or as an off-campus of any other existing institution deemed to be University and the institution shall be permitted to admit students or work as an off-campus or a new institution deemed to be University only after formal de-notification by the concerned State Government.".

4. In regulation 6 of the principal regulations, in sub-regulation (5), for the words "declare an institution of higher education as an institution deemed to be University under section 3 of the Act, by notification in the Official Gazette", the words "either issue approval or Letter of Intent valid for a period of three years or reject the proposal stating reasons thereto" shall be substituted.

5. In regulation 23 of the principal regulations,—

(a) under the heading A. Chancellor,—

(i) in clause (1), in the proviso, for the words "the Central or State Government or its Agencies, shall be appointed by the respective Government", the words "constitutional authority or Central Government or State Government or its Agencies, shall be appointed by the respective constitutional authority or Central Government or State Government" shall be substituted;

(ii) in clause (3),—

(A) for the words "Government" the words "constitutional authority or Government" shall be substituted;

(B) for the words "appropriate Government", the words "constitutional authority or appropriate Government" shall be substituted;

(b) under the heading B. Vice-Chancellor, in clause (3), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

" (a) in the institution deemed to be University managed or controlled by constitutional authority or Central Government or State Government or its Agencies, or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central Government or State Government or its Agencies, as the case may be, the Search-cum-Selection-Committee shall be formed by constitutional authority or Central Government or State Government or its Agencies, following the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, as amended from time to time:

Provided that where the Government has permitted an institution deemed to be University sponsored by a philanthropic organisation to continue with its existing memorandum of association, the Search-cum- Selection-Committee for appointment of Vice Chancellor shall be as specified in (b) below.".

6. In regulation 24 of the principal regulations, under the heading B. Fee structure, in clause (2), for the words "National Medical Council", the words "National Medical Commission" shall be substituted.

9. In regulation 32, in sub-regulation (3), clauses (d) to (n) shall be renumbered as sub-regulations (4) to (14) respectively.

Prof. MANISH R. JOSHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./55/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2026.04.23 16:13:23 +05'30'